संक्रमण

मौसम में बदलाव, पीड़ित बच्चों की बढ़ती संख्या

बच्चों में वायरल संक्रमण का बढ़ता असर

नवभारत , जबलपुर । शहर के विक्टोरिया अस्पताल के बाल वार्ड में इन दिनों वायरल संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बदलते मौसम के कारण बड़ी संख्या में बच्चे तेज बुखार, सर्दी-खांसी, गले में संक्रमण, उल्टी-दस्त और कमजोरी जैसी समस्याओं के साथ उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में सुबह से लेकर देर शाम तक मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ बनी रहती है।

बदलते मौसम का बच्चों की सेहत पर असर

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण बच्चों में वायरल संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होने के कारण वे संक्रमण की चपेट में जल्दी आ रहे हैं। इसके चलते अभिभावक बड़ी संख्या में बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं।

दिखाई दे रहे प्रमुख लक्षण

अस्पताल पहुंच रहे अधिकांश बच्चों में तेज बुखार, सर्दी-खांसी, गले में दर्द, शरीर में कमजोरी, उल्टी-दस्त और भूख कम लगने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर इलाज कराना जरूरी है।

इनका कहना है

वायरल संक्रमण से सभी बच्चे प्रभावित हो रहे है , लेकिन सबसे ज्यादा तीन - आठ साल के बीच वाले बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ती है । जब बहुत तेज़ बुखार हो , उल्टी-दस्त , पानी की कमी या कमज़ोरी हो , यह सभी लक्षण दिखाई दे तब डॉक्टरों से जल्द-जल्द परामर्श करना चाहिए।

डॉ. मंजू नायक
विशेषज्ञ

हैदराबाद से लाये रेस के सभी घोड़े बेच दिये

हाईकोर्ट ने दी जिला पशु अधिकारी व याचिकाकर्ता को थाना प्रभारी के साथ जांच करने की अनुमति

जबलपुर। हैदराबाद से जबलपुर लाये गये घोडे की मौतों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को केयरटेकर की तरफ से बताया गया कि जीवित बचे सभी घोडो को उन्होंने बेच दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि केयरटेकर को घोड़ों को बेचने का अधिकार नही है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी पशु प्रेमी सिमरन इस्सर की तरफ आवेदन पेश करते हुए मांग की गयी कि घोडे की जांच करने वेटनरी डॉक्टरों की टीम के साथ उन्हें फार्म हाउस में जाने की अनुमति प्रदान की जाये। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने आवेदन को स्वीकार करते हुए पनागर थाना प्रभारी तथा जिला पशु अधिकारी के साथ जांच के लिए फार्म हाउस में जाने की अनुमति प्रदान की। पूर्व में केयरटेकर सचिन तिवारी ने हाईकोर्ट में पेश हफलनामा में बताया था कि हैदराबाद से लाये गये 57 घोड़ों में 19 की मौत हो गयी है। इसके अलावा 22 घोडे बेच दिये गये है और तीन नये घोडे खरीदे गये है। वर्तमान में उसके पास 19 घोड़े है, जिनकी खुराक व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी घोडे स्वस्थ है और उनकी देखरेख में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। याचिका पर गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान केयरटेकर की तरफ से सभी घोडे बैच दिये जाने की जानकारी पेश की गयी। याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति पेश करते हुए कहा गया कि मालिक नही होने के कारण केयरटेकर घोडो को नही बेच सकता है। युगलपीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश आवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रायन डिसल्वा तथा अधिवक्ता सुरेश अवस्थी उपस्थित हुए।

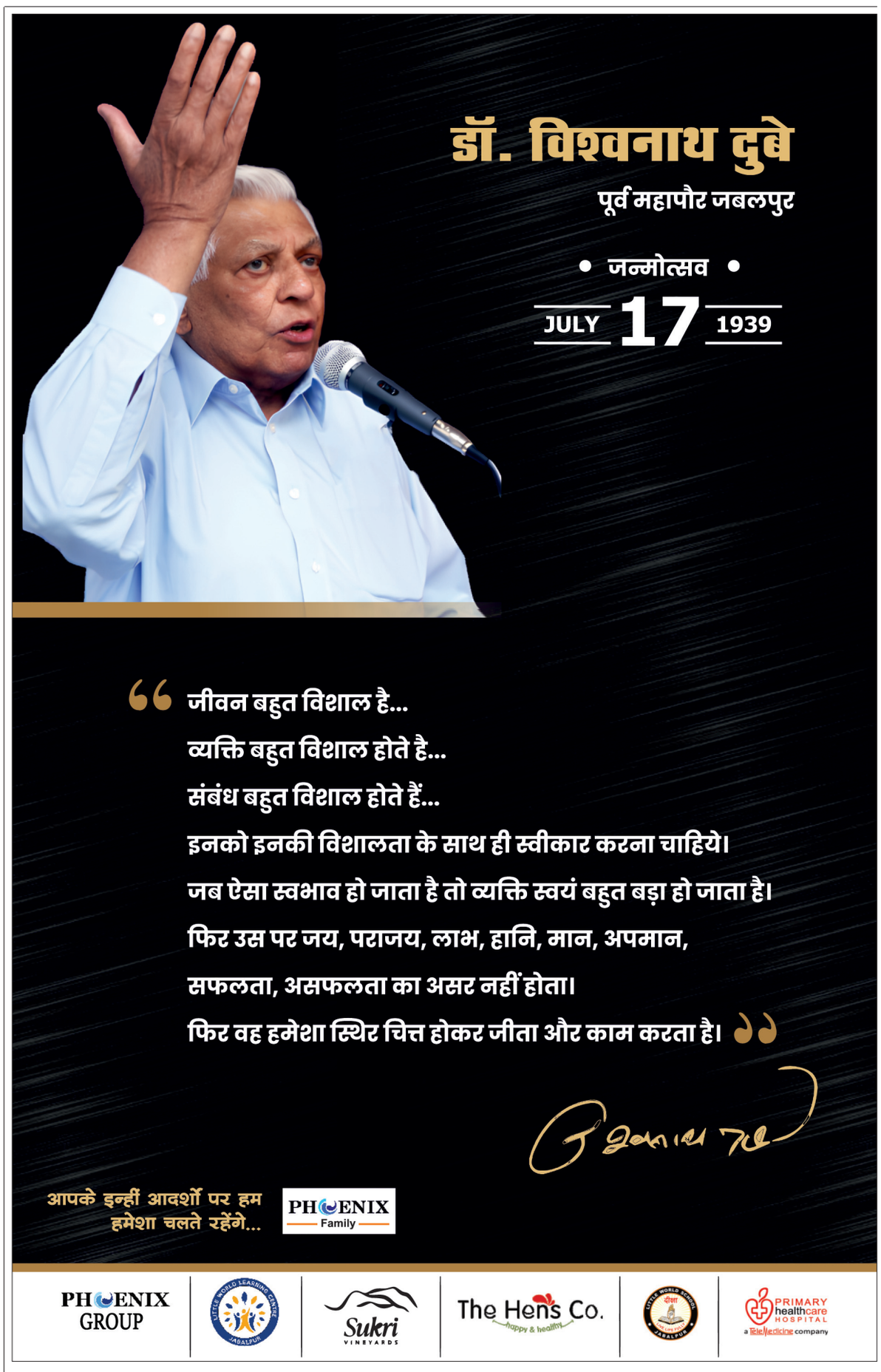

एनजीटी का जिला प्रशासन और नगर निगम के असहयोग पर सख्त रुख

शहर की पेयजल पाइप लाइन नालियों से गुजरने से जल प्रदूषण का संकट

जबलपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी ने शहर की पेयजल पाइप लाइन के नालियों से गुजरने और जल प्रदूषण के मामले में जिला प्रशासन और नगर निगम के असहयोग पर कड़ा रुख अपनाया है। डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव द्वारा दायर मूल आवेदन पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह व विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की युगलपीठ ने ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि वे कलेक्टर जबलपुर और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण में पूरा सहयोग सुनिश्चित कराएं। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को होगी।

सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग के अभाव में स्थल निरीक्षण नहीं हो सका, जबकि पूर्व में एक माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसे गंभीर मानते हुए ट्रिब्यूनल ने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया तथा नगर निगम को जवाब प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदान किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी खड़े हुए। आवेदक को एक सप्ताह के भीतर शेष प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं।

नवमीं की पूरक परीक्षा देने गई नाबालिग 41 दिन बाद भी घर नहीं लौटी

एसपी व थाना प्रभारी से स्टेटस रिपोर्ट तलब, बरामद होने पर कोर्ट में पेश करने के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने छतरपुर जिले के बड़ामलहरा से 41 दिन से लापता नाबालिग छात्रा के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर जवाब तलब किया है। युगलपीठ ने पुलिस अधीक्षक छतरपुर और थाना प्रभारी बड़ामलहरा को प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि बालिका के बरामद होते ही उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।

बड़ामलहरा निवासी दीपा साहू की ओर से कहा गया कि नाबालिग पुत्री निकिता साहू पांच जून 2026 को सीएम राइज स्कूल में कक्षा नौ की पूरक परीक्षा देने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। आरोप है कि प्रतिवादी युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। अन्य अनावेदकों ने उसका साथ दिया है।

उसी दिन गुमशुदगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक बालिका का पता नहीं चल सका। पुलिस अधीक्षक को कई आवेदन देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। न्यायालय ने निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है।

बाजार विभाग की कार्यवाही, दो व्यापारियों ने जमा किये 82 .52 लाख

नया बाजार के दो व्यापारियों से प्रिमियम राशि की वसूली

जबलपुर। नगर निगम के बाजार विभाग ने एक अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए अपने इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में उपायुक्त श्रीमती अंकिता जैन और बाजार अधीक्षक राजेन्द्र दुबे ने नया बाजार स्थित निगम स्वामित्व की दुकान क्रमांक 32 एवं 33 की पूरी प्रीमियम राशि एक साथ जमा कराई है। दोनों व्यापारियों ने कुल 82 लाख 51 हजार 9 सौ 34 रुपये प्रिमियम राशि के चेक निगम कोष में जमा कर दिये हैं। जिसके बाद विभाग द्वारा उन्हें विधिवत रसीदें जारी कर दी गई हैं। बाजार विभाग के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी धनराशि एकमुश्त और इतने सुचारू रूप से जमा हुई है। उपायुक्त श्रीमती अंकिता जैन और बाजार अधीक्षक राजेन्द्र दुबे ने बताया कि निगमायुक्त की प्रशासनिक दूरदर्शिता और व्यापारियों के साथ निरंतर सकारात्मक समन्वय के कारण सह जटिल प्रक्रिया बेहद आसानी से पूरी हो सकी। विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के आपसी तालमेल और सकारात्मक प्रयासों के कारण ही इस ऐतिहासिक रिकवरी की गयी।

कार ने तीन मजदूरों को कुचला, हालत गंभीर

जबलपुर। विजयनगर थाना अंतर्गत सनातन चौक के पास मुस्कान सिटी के सामने एक मारुति कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पैदल चल रहे तीन मजदूरों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, चंडालभाटा अघोरी बाबा मंदिर के पास निवासी 75 वर्षीय नारायण गौड़ सेंटिंग ठोकने का ठेका लेते हैं। उन्होंने सनातन चौक के आगे मुस्कान सिटी के सामने एक मकान में सेंटिंग का काम लिया था। काम पूरा करने के बाद नारायण गौड़ अपने बेटे टीकाराम गौड़, मजदूर बबलू अहिरवार और रहीश खान के साथ पैदल ही घर वापस लौट रहे थे।

350 करोड़ के स्कूल यूनिफॉर्म टेंडर पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की है। एसीजे विवेक रूसिया व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक 350 करोड़ के यूनिफॉर्म के टेंडर की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह याचिका जबलपुर अपैरल इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (जाइमा) द्वारा स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और वस्त्र उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विमल कांत जैन ने प्रभावी पक्ष रखा। जाइमा के सह-सचिव अजित मोदी के अनुसार, पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा जारी लगभग 350 करोड़ रुपये के यूनिफॉर्म टेंडर की पात्रता शर्तें अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हैं, जिससे स्थानीय लघु उद्योग व बुनकर निविदा प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। स्पिनिंग मिल के लिए 700 करोड़ रुपये व गारमेंट निर्माता के लिए 233 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर अनिवार्य कर दिया गया।350 करोड़ रुपये की नेटवर्थ और करीब 1.95 करोड़ रुपये की ईएमडी की बाध्यता व प्रतिवर्ष 50 लाख यूनिफॉर्म बनाने की क्षमता तथा तीन वर्षों में 105 करोड़ रुपये के समान कार्य का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया।

एसबीसी चुनाव : प्रथम वरीयता की मतगणना अंतिम चरण में

एमपी स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन-2026 की प्रथम वरीयता के मतों की गिनती अंतिम चरण में पहुंच गई है। गुरुवार को रीवा जिले की मतपेटियों की मतगणना पूरी हुई। अब तक 62 हजार में से 45,294 मतों की गणना हो चुकी है, जिनमें 43,727 मत वैध और 1,567 मत निरस्त पाए गए हैं। मतगणना तेज गति से जारी है। वर्तमान चरण में राकेश सिंह भदौरिया, विवेक सिंह, आरके सिंह सैनी, हितोषी जय हार्डिया और अखिलेश कुमार सक्सेना बढ़त पर हैं। महिला प्रत्याशियों में प्रतीका पाठक, प्रवीण तिवारी, अन्नू पटेल, प्रतिभा वालिया और रश्मि ऋतु जैन को बढ़त मिली है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है। परिषद ने बताया कि मतगणना का प्रतिदिन सीधा प्रसारण उसके यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है तथा प्रत्येक चरण की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57